न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 27/23 निर्णय दिनांकः– 08-01-2025
(जीसीएमएस संख्या 2023/89)

1. हेतराम पुत्र रतीराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. गुलाराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. महेन्द्र पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. हरिराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. परतु देवी पत्नी बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. हेतराम पुत्र लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. परमेश्वरी पुत्री लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. रामगोपाल पुत्र लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. रामेश्वरलाल पुत्र लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. श्योप्यारी पुत्री लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. हेमू पुत्र लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. हीरा पुत्री लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. बनवारी लाल पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी 88/33 अरावली मार्ग, मानसरोवर तहसील सांगानेर जयपुर (मृतक)।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8/1 धोली देवी पत्नी बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 88/33 अरावली मार्ग, मानसरोवर तहसील सांगानेर जयपुर।

8/2 मनजीत सिंह पुत्र बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 88/33 अरावली मार्ग, मानसरोवर तहसील सांगानेर जयपुर।

8/3 विनयजीत सिंह पुत्र बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 88/33 अरावली मार्ग, मानसरोवर तहसील सांगानेर जयपुर।

8/4 सुमन पुत्री बनवारीलाल जाति गोदारा निवासी निमडी तहसील रतिया जिला फतेहाबाद हरियाणा।

8/5 सुमनेश पुत्री बनवारी लाल पत्नी सुधीर गोदारा निवासी निमडी तहसील रतिया जिला फतेहाबाद हरियाणा।

8/6 विवेका पुत्री बनवारी लाल पत्नी वीरेन्द्र गोदारा निवासी मकान नम्बर 41, 42 गली नम्बर 11 गणपत नगर आनन्द विहार श्रीगंगानगर।

9. बुधाराम पुत्र कानाराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

10. अजीत कुमार पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

11. रामकिशोर पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

12. रोशनी देवी पुत्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

13. शारदा देवी पुत्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

14. सुनील कुमार पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

15. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा काकडा जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा काकडा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

16. आरएमजीबी शाखा थावरिया जरिये शाखा प्रबंधक शाखा थावरिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

17. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 08–02–2023
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री हरीराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 8/2
4. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 08–02–2023 जिसके माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से विधि विरूद्व तरीके से रास्ता स्वीकृत किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी जोत ग्राम उडसर के खेत खसरा नम्बर 465 तादादी 2.46 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 466 तादादी 0.63 हेक्टर भूमि में आवागमन की मांग अपीलांट् की जोत में से किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलांट् की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 535/461 व 461 में से 288 मीटर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये गये है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत जाकर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित करने से पूर्व रास्ते के आज्ञापक प्रावधान नियम 69 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से एवं अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने का आधार यह लिया गया है कि खसरा नम्बर 873/457 में गैर मुमकिन रास्ता रिकार्ड में दर्ज है जहॉ से खसरा नम्बर 464 में से होकर सीधी दूरी 172 मीटर है तथा खसरा नम्बर 464 के पूर्वी किनारे–किनारें दूरी 204 मीटर है, किन्तु स्थगन होने के कारण खसरा नम्बर 873/457 गैर मुमकिन रास्ता बन्द है इसलिये खसरा नम्बर 535/461 की दक्षिण सीमा पर रास्ता दिया जाना उचित माना गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वमेव यह जाहिर करता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु वैकल्पिक निकटतम रास्ता उपलब्ध है, परन्तु न्यायालय का स्थगन होने के कारण उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु निकटतम रास्ता पूर्व से ही उपलब्ध रहा है तथा उक्त आशय का अंकन अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में भी अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 – ए के तहत नवीन रास्ते की मांग तभी की जा सकती है जब किसी काश्तकार को अपनी जोत में आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं हो। अदालत मातहत ने उपरोक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार केवल मात्र रास्ते के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के उद्वेश्य मात्र से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 515 व आरआरटी 2023 पार्ट I पेज 490 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि ग्राम उडसर के खेत खसरा नम्बर 465 तादादी 2.46 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 466 तादादी 0.63 हेक्टर भूमि निहित है उक्त आराजी में आवागमन की मांग अपीलांट्स की जोत में से किये जाने पर अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 535/461 व 461 में से 288 मीटर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आये तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त व भू–अभिलेख निरीक्षण स्तर के अधिकारी से मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त व यह तथ्य साबित होने पर कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही उक्त रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर में रास्ता उपलब्ध करवाने से पूर्व प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खेत में पहुँचनें के लिए सभी विकल्पों पर अपना विवेचन अंकित करने के उपरान्त रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त विवेचन यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति व अपीलांट्स के धारण की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट्स द्वारा दौराने बहस जो कथन किये गये है वह मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत किये गये कथन है क्योंकि अन्य वैकल्पिक रास्ते पर न्यायालय का स्थगन होने व न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता की यदि किसी काश्तकार द्वारा मांग किये गये रास्ते की अनुपलब्धता रही है तो उसे अन्य वैकल्पिक विकल्प के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश रास्ते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके पारित किया गया आदेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश पारित होने के उपरान्त डीएलसी दर से दुगनी राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है तथा राजस्व रिकार्ड में आदेश की पालना में रास्ता दर्ज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 – ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी जोत ग्राम उडसर के खेत खसरा नम्बर 465 व 466 में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 461 तादादी 2.98 हेक्टर, खसरा नम्बर 467 तादादी 0.19 हेक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 535/461 तादादी 2.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 464 तादादी 0.32 हेक्टर व अप्रार्थी संख्या 6 के खसरा नम्बर 457 तादादी 9.17 हेक्टर में से रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शें का अवलोकन किया गया। उक्त नजरी नक्शें के अवलोकन से यह जाहिर है कि ग्राम उडसर के खेत खसरा नम्बर 465 व 466 में आवागमन हेतु रास्ता खेत खसरा नम्बर 873/457 में से पूर्व से प्रचलित रास्ता उपलब्ध है, उक्त प्रचलित रास्ते से रेस्पोडेन्ट की जोत में आवागमन की दूरी 204 मीटर अंकित है, परन्तु उक्त रास्ता पर न्यायालय का स्थगन होने के कारण खेत खसरा नम्बर 873/457 में से रास्ता दिया जाना उचित नहीं मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के खेत खसरा नम्बर 535/461 व 461 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है, जिसकी दूरी 288 मीटर अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य आधार यह लिया गया है कि खेत खसरा नम्बर 873/457 पर न्यायालय हाजा का स्थगन होने के कारण उक्त आराजी में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सकता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि न्यायालय हाजा के समक्ष खेत खसरा नम्बर 464 के संबंध में लम्बित अपील का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थगन आदेश प्रभावहीन हो चुका है। प्रकरण में चूंकि नजरी नक्शें एवं रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु खेत खसरा नम्बर 464 से होते हुए खेत खसरा नम्बर 873/457 से गैर मुमकिन रास्ता कम दूरी पर स्वीकृत किया जा सकता है जोकि मुख्य सडक से जोड़ता हुए रास्ता है, अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का उपचार उपलब्ध होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की जोत में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है।

7. अतः उक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–02–2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए रास्ते के वैकल्पिक उपचार हो ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 08-01-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर